लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक क्षेत्र

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून के माह 09/2014 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री अशोक कुमार, (स.ले.प.अ.), श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26/07/16 से 30/07/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0 एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस मण्डल की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री अनिल कुमार, स.ले.प.अ. एवं श्री रविन्द्र कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 02.09.2014 से 05.09.2014 तक श्री अनिल कुमार जैन, ले.प. अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 02.09.2014 से 05.09.2014 तक में सम्पन्न हुयी थी जिसमें खण्ड के माह 06/2006 से 08/2014 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2014 से 06/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।
3. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित अधीक्षण अभियन्ताओं ने खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।
   1. श्री जयपाल सिंह माह 09/2014 से वर्तमान तक।

4. विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	भाग 2 अ	भाग 2 ब
1.	28/2006-07	01	-
2.	35/2014-15	-	01

5. मुख्य अभियन्ता ने खण्ड का गत सम्प्रेक्षण से अब तक की अवधि के दौरान निरीक्षण नहीं किया गया

6.सतत् अनियमित्ताये शून्य।

7. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): शून्य।

8. **गत तीन वर्षों में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की स्थिति।**

(धनराशि लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन	कुल ब्यय
2014-15	2700	125.75	119.26
2015-16	2700	133.40	119.73
2016-17 (जून तक)	2700	43.40	42.38

भाग 2 (ब)

<u>प्रस्तर :1</u> अनुमन्य सीमा से अधिक सामान्य भविष्य निधि से अनियमित भुगतान तथा ` 1,78,000 की वसूली अवशेष रहना।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्यमण्डल, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्री अमित धई, वरि. सहायक को वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक विभिन्न धनराशि के अस्थायी अग्रिम स्वीकार किये गये थे जिसमें पूर्व में लिए गये अग्रिम की वसूली होने तक अगला अग्रिम प्रदान कर दिया गया था जिसका विवरण निम्नवत है।

वर्ष	अस्थायी अग्रिम की धनराशि (`)	वर्षवार कुल वसूली (`)
2008-09	36000	9000
2009-10	-	12000
2010-11	40000+34000	17900
2011-12	614000+47800	33300
2012-13	84700+64000	74600
2013-14	70000+75400	101150
2014-15	77100+79750	109200
2015-16	-	99000
2016-17 (जुलाई तक)	-	36000
योग	**670150**	**492150**

उक्त कर्मचारी को माह नवम्बर 2014 में जी.पी.एफ. खाते में जमा कुल ` 119924 की धनराशि के सापेक्ष ` 79750 का अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया जबकि ` 260250 की पूर्व आहरण की वसूली अवशेष थी। कुल वसूली ` 3,40,000 शेष थी।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि जब तक ` 3,40,000 की वसूली नहीं हो जाती है तब तक भविष्य में जी.पी.एफ. खाते से अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा। साथ ही उक्त अग्रिम विशेष अनुरोध पर भवन निर्माण के अतिरिक्त कार्य हेतु विशेष अनुरोध पर अपरिहार्य परिस्थिति में स्वीकार किया गया था।

विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 के नियम 13(4)(तीन) के अनुसार कुल जमा धनराशि का 75 प्रतिशत तक अग्रिम स्वीकार किया जा सकता है तथा नियम 13(4)(दो) के अनुसार कोई अग्रिम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि पूर्व में लिए गये समस्त अस्थायी अग्रिमों का अंतिम प्रतिदान करने के पश्चात कम से कम 12 माह व्यतीत न हो जायें। जबकि सामान्य भविष्य निधि पासबुक से स्पष्ट है कि उक्त कर्मचारी को बार-बार बिना पूर्व के अग्रिमों की वापसी के ही अस्थायी अग्रिम प्रदान किये जाते रहे हैं। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके **कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल देहरादून** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिकII